

	कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।	दूरभाष 0522-2288656 Email- cehydelpcl@gmail.com	फ़ैक्स 0522-2288655
	संख्या: 453-अनु०-6/अनुपालन सिविल अपील संख्या-2608/2011 दिनांक: 06.10.2015		

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 3(7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-08(क) को मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.4.2012 में **ultra vires** घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 8/4/1/2002-टी०सी०-1-का/2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिक की पूर्व प्रोन्नतियों में आरक्षण की धारा 3(7) का लाभ प्रदान किया गया है। इस तथ्य के दृष्टिगत स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर आदेश संख्या-560-अनु०-6/चयन/का०अधी०-प्र०/2012 दि० 17.07.2012 द्वारा की गयी प्रोन्नति को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-1623-वि०पा०मं०(प्र०)ल०/ई-3(मण्डल) दिनांक 03.10.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार तत्सम्बन्धी प्रोन्नति पद के पोषक पद (का०सहा०-प्रथम) पर प्रोन्नति की तिथि 17.07.2012 को न होने के कारण निरस्त करते हुए उसे स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थान	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीरण के उपरान्त धारित पद का नाम
1	2	3	4
1.	श्री मिश्री लाल (अनु०जा०)/ लिपिकीय संवर्ग/ विद्युत पारेषण मण्डल-प्रथम, 132के०वी० सबस्टेशन, मार्टिनपुरवा, लखनऊ।	कार्यालय अधीक्षक-प्रथम (मण्डल)	कार्यालय सहायक-द्वितीय (मण्डल)

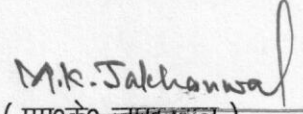
उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

सं०- 453/अनु०-6/तददिनांक 06.10.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (का०एवं प्रब०)/(आपरेसन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को कार्मिक की आवश्यकतानुसार तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल-प्र०, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- संख्या-1623-वि०पा०मं०(प्र०)ल०/ई-3(मण्डल) दिनांक 03.10.2015 के संदर्भ में।
- 6- अधिशासी अभियन्ता वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर upload किये जाने हेतु।
- 7- सम्बन्धित पदधारी।


 (एम०के० जाखनवाल)
 वैयक्तिक सहायक (तृतीय)
 कृते मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

